UPLK010075502017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 380 / 2017

सरकार **बनाम** बनवारी लाल यादव आदि

अ0सं0 159 / 2013
धारा–147,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–पी0जी0आई0, लखनऊ।

05–03–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण बनवारी लाल यादव, विनोद यादव, विजय कुमार यादव बब्लू यादव व धर्मराज यादव मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 15.03.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010075502017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 380 / 2017

सरकार **बनाम** बनवारी लाल यादव आदि

अ0सं0 159 / 2013
धारा–147,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–पी0जी0आई0, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण बनवारी लाल यादव, विनोद यादव, विजय कुमार यादव व बब्लू यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 28.03.2013 समय दिन में लगभग 02.00 थाना पी0जी0आई0 जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम कल्ली पश्चिम में वादी मुकदमा मुकेश कुमार के विरूद्ध आप अभियुक्तगण ने मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा मुकेश कुमार मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा मुकेश कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा मुकेश कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अनुसूचित जाति

के वादी मुकदमा मुकेश कुमार को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 05–03–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 05–03–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

UPLK010075502017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 380 / 2017

सरकार **बनाम** बनवारी लाल यादव आदि

अ0सं0 159 / 2013

धारा–147,323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

थाना–पी0जी0आई0, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण धर्मराज यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 28.03.2013 समय दिन में लगभग 02.00 थाना पी0जी0आई0 जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम कल्ली पश्चिम में वादी मुकदमा मुकेश कुमार के विरूद्ध आप अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के मिलकर अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा मुकेश कुमार मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के मिलकर वादी मुकदमा मुकेश कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के मिलकर वादी मुकदमा मुकेश कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

दिनांकः 05–03–2024

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

दिनांकः 05–03–2024